

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 61/2015

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नरेन साहनी पुत्र श्री नत्थूलाल साहनी, खाद्य कारोवारकर्ता
मैसर्स दीपक फूडस 38-वी पर्वतपुरा अजमेर-305001 पता-557/15,
लक्ष्मी विला, श्रीनगर रोड, अजमेर।
2. दीप्ती साहनी मालिक
मैसर्स दीपक फूडस 38-वी पर्वतपुरा, अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की धारा 3(1)(zx), 3(1)(zi)(c)(i), 26(2)(ii) सपटित धारा 49,51,52

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

—: आदेश :-

दिनांक- 02.03.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र में लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सब स्टेण्ड एवं मिसब्राण्ड Rusks (Deepak) pack का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 26 की धारा 3(1)(zx), 3(1)(zi)(c)(i), 26(2)(ii) सपटित धारा 49,51,52 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।



न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 05.08.2014 को 02.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स दीपक फूडस 38-वी पर्वतपुरा अजमेर-305001 पता-557/15, लक्ष्मी विला, श्रीनगर रोड, अजमेर पर पहुँचे श्री नरेन साहनी पुत्र श्री नत्थूलाल साहनी मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को Rusks (Deepak) pack का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान Rusks (Deepak) pack में मिलावट का शक होने पर उनमें से नमूना जाँच हेतु Rusks (Deepak) pack के 4 पैकेट वजनी 400 ग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु 80/- रूपयें श्री नरेन साहनी को नगद देकर गवाह श्री रमेश सैनी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री नरेन साहनी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा Rusks (Deepak) को चार अलग-2 पैकेट तैयार करने के पश्चात प्रत्येक पैकेट के चारों नमूनों पर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक एजे/576 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक अजो/एफएसएसए/2014/12668-69 दिनांक 09.09.2014 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट सं. एलएस. /356/एक्ट/2014/371 दिनांक 26.08.2014 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जाँच उपयोग में लिया गया Rusks (Deepak) pack सबस्टेण्ड एवं मिसब्रान्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 27.08.2015 पेश किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.06.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री नरेन साहनी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 12.06.2015 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 12.06.2015 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद मे उन पर लगाये गये आरोपो को स्वीकार करते हुए यह अनुरोध किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यदि जांच में Rusks (Deepak) सबस्टेण्ड एवं मिसब्रान्ड पाया गया है तो है, इसमें अप्रार्थी की ओर से किसी प्रकार की गलती या बदनियति नहीं है। भविष्य में इस तरह की कोई गलती नही की जायेगी। प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित कर उस पर कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण को ड्रॉप किया जाये। चूकिं परिवादी अप्रार्थी श्री नरेन साहनी न्यायालय हाजा मे उपस्थित होकर अपना जुर्म कबूल किया तथा लिखित में जवाब प्रस्तुत किया एवं न्यूनतम शास्ती राशि लगाने हेतु निवेदन किया। अभियुक्त द्वारा जुर्म कबूल कर लिये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं परिवाद मे वर्णित गवाहान को साक्ष्य हेतु बुलाना उचित नही समझा गया। परिवाद मे वर्णित



न्याय निर्णायक अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)

तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजों खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जाँच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया Rusks (Deepak) सवस्टेण्डर्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री नरेन साहनी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की धारा 3(1)(zx),3(1)(zi)(c)(i), 26(2)(ii) सपटित धारा 49,51,52 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत अवमानक पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेन साहनी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की धारा 3(1)(zx),3(1)(zi)(c)(i), 26(2)(ii) सपटित धारा 49,51,52 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री नरेन साहनी को रुपये 11000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 02.03.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 02.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(किशोर कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
दिनांक :

क्रमांक : सारिस्ता/अपर/12016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आशुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 3- केन्द्रीय दल, कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
- 4- श्री नरेन साहनी पुत्र श्री नत्थूलाल साहनी, खाद्य कारोबारकर्ता
मैसर्स दीपक फूड्स 38-बी पर्वतपुरा अजमेर-305001 पता-557/15,
लक्ष्मी विला, श्रीनगर रोड, अजमेर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर